बेव साइटः www.uppcb.com
ई–मेल :- romathura@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं0–65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांकः 1814/0-93/23 दिनांक 17/02/23

To,

The Registrar,
National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi.

Subject- A Supplementary report In compliance of order dated-19-10-2022 in O.A. No.-773/2022 "Rajesh Pareek vs State of Uttar Pradesh. Inspection & status report of STPs in Mathura.

Respected Sir,

In the above noted case, Hon'ble Tribunal has given direction as below:-

"..4. In view of above we direct additional Chief Secretary/Principal Secretary, Urban Development, UP Mathura Vrindavan Development Authority, UPPCB, District Magistrate, Mathura, NMCG, CPCB and Vice Chairman, Braj Teerth Vikash Parishad, Mathura to furnish a factual and action taken report in the matter. U.P. PCB will be nodal agency for coordination and compliance. The report may specify the extent of sewage generation, installed treatment capacity, actual utilization performance of STPs and utilization of treated sewage for irrigation and other purposes.

5. The Committee may ascertain the gap in terms of disposal of treated/untreated sewage into river Yamuna through different drains and recommend compensation to be levied for remedial action on the pattern of recent order of this Tribunal inter-alia in O.A. No.-1002/2018. The report may be furnished within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF".

In the compliance of above directions, an inspection of site mentioned in the order of Hon'ble Tribunal was carried out by a joint team comprising of the officials from the office of District Magistrate, Mathura, Urban Development U.P., MVDA, UPPCB, NMCG, CPCB and Vice Chairman, Brij Teerth Vikash Parishad , Mathura inspected the site mentioned in the order on dated-24.11.2022 and report has been submitted on dated-09.12.2022. In continuation a show cause notice has been issued to Municipal Commissioner, Mathura-Vrindavan Nagar Nigam, Mathura on dated-14.02.2023 is annexed as Annexure-1.

Accordingly supplementary report is being submitted with the present letter for kind perusal and further action in this regard.

Your faithfully,

17/02/2023
Regional Officer

C.C :-

1. Member Secretary, UP Pollution Control Board , Lucknow.
2. District Magistrate, Mathura.

Regional Officer

Annexure-1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : 103911 5 /सी–4/एन0जी0टी0–152/2023 दिनांक : 15-02-23

सेवा में,

नगर आयुक्त,
मथुरा–वृन्दावन,
मथुरा।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–773/2022 राजेश पारीक बनाम् स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 के अनुपालन के संबंध में।**

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–773/2022 राजेश पारीक बनाम् स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 के निर्देशों के अनुपालन में जनपद मथुरा में स्थित ड्रेन्स का निरीक्षण संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 24.11.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के पत्रांक 1792/ओ–93/23 दिनांक 10.02.23 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा के अभिलेखानुसार मथुरा–वृन्दावन के क्षेत्रान्तर्गत 36 ड्रेन्स स्थापित/संचालित हैं, जिसमें से 31 ड्रेन्स को टैप्ड किया गया है तथा उक्त ड्रेन्स के जल अनुश्रवण का कार्य क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा माह फरवरी, 2021 से किया जा रहा है। उक्त ड्रेन्स के टैप्ड के उपरान्त पम्पिंग स्टेशन के माध्यम से सम्बन्धित एस0टी0पी0 पर भेजा जाता है तथा जिसका शुद्धिकरण एस0टी0पी0 के माध्यम से किया जाता है, जोकि वर्तमान समय में बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति कर रहे हैं। अम्बाखार ड्रेन आंशिक टैप्ड है, जो ट्रान्स यमुना एस0टी0पी0 पर भेजा जाता है। शेष 04 ड्रेन्स जिनका विवरण निम्नवत् है :–

1. चैतन्य बिहार, वृन्दावन, मथुरा।
2. औरंगाबाद अपस्ट्रीम, मथुरा।
3. औरंगाबाद डाउनस्ट्रीम, मथुरा।
4. काला पत्थर, मथुरा।

उक्त ड्रेन्स, जो कि अनटैप्ड है तथा जिन पर बायो रेमेडियेशन का कार्य किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा ड्रेन्स का जल नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की प्रयोगशाला में विश्लेषित किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा उक्त 04 ड्रेन्स में फरवरी, 2021 से प्राप्त जल गुणता सम्बन्धी चार्ट प्रेषित किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है–

S.N.	Drains → Name / Month ↓	Chaitanya Vihar, Vrindavan, Mathura According to Operating Stadards (Yes/ No)	Aurangabad U/S, Mathura According to Operating Standards (Yes/ No)	Aurangabad D/S, Mathura According to Operating Standards (Yes/ No)	Kala Patthar, Mathura According to Operating Standards (Yes/ No)	No. of not achieve Drains	E.C. in 5.0 Lakhs/ Month
1.	Feb, 2021	No	No	No	No	04	20.00
2.	Mar, 2021	No	No	No	No	04	20.00
3.	Apr, 2021	No	No	No	No	04	20.00
4.	May, 2021	No	No	No	No	04	20.00
5.	June, 2021	No	No	No	No	04	20.00
6.	July, 2021	No	No	No	No	04	20.00
7.	Aug, 2021	No	No	No	No	04	20.00
8.	Sep, 2021	No	No	No	No	04	20.00
9.	Oct, 2021	No	No	No	No	04	20.00
10.	Nov, 2021	No	No	No	No	04	20.00
11.	Dec, 2021	No	No	No	No	04	20.00
12.	Jan, 2022	No	No	No	No	04	20.00
13.	Feb, 2022	No	No	No	No	04	20.00
14.	Mar, 2022	No	No	No	No	04	20.00
15.	Apr, 2022	No	No	No	No	04	20.00
16.	May, 2022	No	No	No	No	04	20.00
17.	June, 2022	No	No	No	No	04	20.00

18.	July, 2022	No	Yes	No	Yes	02	10.00
19.	Aug, 2022	No	No	No	Yes	03	15.00
20.	Sep, 2022	No	Yes	No	Yes	02	10.00
21.	Oct, 2022	No	Yes	No	Yes	02	10.00
22.	Nov, 2022	No	Yes	No	Yes	02	10.00
23.	Dec, 2022	No	Yes	No	Yes	02	10.00
24.	Jan, 2023	No	Yes	No	Yes	02	10.00
					Total –	83	415.00

उक्त ड्रेन्स मे फरवरी, 2021 से माह जून 2022 तक प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी है। तदोपरान्त माह जुलाई, 2022 से माह जनवरी, 2023 तक उक्त 04 ड्रेन्स मे से 02 ड्रेन्स में प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी है एवं माह अगस्त, 2022 में 01 ड्रेन (काला पत्थर, मथुरा) मानकों के अनुरूप पायी गयी तथा 04 ड्रेन्स मे से 02 ड्रेन्स (चैतन्य बिहार, वृन्दावन, मथुरा एवं औरंगाबाद डाउनस्ट्रीम, मथुरा) में माह सितम्बर, 2022 से माह जनवरी, 2023 तक निरन्तर प्रचालकों की मात्रा निर्धारित बोर्ड मानकों से अधिक पायी गयी है। उक्त ड्रेन्स सीधे यमुना नदी में मिलती है। उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 1788/ओ–93/2023 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से उचित कार्यवाही हेतु पत्र नगर आयुक्त, मथुरा–वृन्दावन नगर निगम, मथुरा को प्रेषित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–593/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं–

"Bioremediation and/or phytoremediation or any other remediation measures may start as an interim measure positively from 01.11.2019, failing which the State may be liable to pay compensation of Rs. 05 Lakhs per month per drain to be deposited with the CCPB."

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा के पत्रांक 1792/ओ–93/2023 दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से प्रेषित आख्या में क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा नगर आयुक्त, मथुरा–वृन्दावन, मथुरा के विरुद्ध रु0 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रति माह की दर से उक्त चार्ट के अनुसार समस्या का समाधान होने तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने तथा औरंगाबाद डाउनस्ट्रीम एवं चैतन्य बिहार डाउनस्ट्रीम ड्रेन्स को रीलोकेट किये जाने के साथ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में नगर आयुक्त, मथुरा–वृन्दावन, मथुरा के विरुद्ध रु0 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रति माह की दर से उक्त चार्ट के अनुसार समस्या का समाधान होने तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने तथा औरंगाबाद डाउनस्ट्रीम एवं चैतन्य बिहार डाउनस्ट्रीम ड्रेन्स को रीलोकेट किये जाने के साथ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है–

1. यह कि क्यों न नगर आयुक्त, मथुरा–वृन्दावन, मथुरा के विरुद्ध रु0 5.0 लाख प्रति ड्रेन प्रति माह की दर से उक्त चार्ट के अनुसार समस्या का समाधान होने तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।
2. यह कि क्यों न औरंगाबाद डाउनस्ट्रीम एवं चैतन्य बिहार डाउनस्ट्रीम ड्रेन्स का संचालन रीलोकेट होने तक बन्द कर दिये जाने हेतु निर्देश जारी कर दिये जाये।

अतः उपरोक्त के संबंध में अपना प्रतिउत्तर सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्य सहित पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि मे संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त वर्णित निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से।</u>

Atulesh yadav

प्रभारी, वृत्त–4

<u>प्रतिलिपि</u> : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ कि 15 दिन के अन्दर स्थलीय निरीक्षण कर उपरोक्त पर विस्तृत आख्या प्रेषित करें।

Atulesh yadav

प्रभारी, वृत्त–4